छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा प्रथम सत्र अंक-05

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 10 जनवरी, 2019

(पौष 20, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने -

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के लिए :-
   (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-2)
   (ii) सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-3) तथा
   (iii) राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-4),
2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2018-19 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा
3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखे ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुये इसे आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान की है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

2. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019)

श्री ताम्रध्वज साहू, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) पुरस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - मैंने, छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

3. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री देवव्रत सिंह, दीपक बैज, रामकुमार यादव, बृहस्पत सिंह

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री लालजीत सिंह राठिया, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति लेते हुये कथन किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम के अध्याय 5 के नियम 23 (2) में पुनर्स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना देने की अवधि 7 दिन की होगी जबकि ये प्रस्ताव 7 दिन के बजाय आज ही प्रस्तुत किया गया है। दो दिन पहले इसकी सूचना देनी चाहिए। इसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया है, इसको रोक दें क्योंकि इसमें एक सदस्य ने प्रवर समिति को भेजने के लिए आवेदन दिया है, उस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने कथन किया कि नियम 65 में लिखा हुआ है कि विधेयक जब पुर:स्थापित किया जाए, उसी समय आपत्ति आती तो शायद उस समय गुण-दोष पर बात होती, विचार होता । आसंदी ने नियम शिथिल करते हुए यहां पर पुर:स्थापन की अनुमति दी है ।

माननीय अध्यक्ष ने इस पर कथन किया कि जिस समय यह विधेयक पुर:स्थापित हुआ, जब नियमों को शिथिल करके पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई, आपको उस समय आपत्ति करनी थी। पहले ही नियम को शिथिल किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इसी तरह की आपत्ति वर्ष 2006 में उठायी गई थी, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी । प्रस्तुत विधेयक के पुर:स्थापन के समय कोई आपत्ति नहीं आई, अत: विचार के प्रस्ताव के समय आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है, इसलिये आपकी आपत्ति अस्वीकार की जाती है ।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री ताम्रध्वज साहू,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

6. प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) को प्रवर समिति को सौंपा जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में असहमति व्यक्त की ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री बृजमोहन अग्रवाल,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अजय चन्द्राकर

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमितेश शुक्ला, अरूण वोरा

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, देवव्रत सिंह

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री केशव चन्दा

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ ।

प्रस्ताव के पक्ष में 62 मत पड़े ।

प्रस्ताव के विपक्ष में 08 मत पड़े ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ताम्रध्वज साहू, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

8. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों ने असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

9. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष की सहमति से पंचम् विधान सभा के प्रथम सत्र की बैठकों को पुनर्निर्धारित करते हुये

आगामी बैठकें शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ होकर शुक्रवार, दिनांक 08 मार्च, 2019 तक रखी जायेगी । शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी, 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया जाएगा तथा प्रश्नोत्तर, स्थगन, ध्यानाकर्षण, नियम 267-क की सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाओं को सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 से सभा में लिया जायेगा ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

सायं 4.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 08 फरवरी, 2019 (माघ 19 शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा